न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

नि-327/2018/सीधी/भू.रा.

लक्ष्मण प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री तिलकधारी राम पाण्डेय, निवासी– नकझर खुर्द थाना व तहसील बहरी जिला सिधी (म.प्र.)

--आवेदक

विरूद्ध

1. रघुपति प्रसाद पुत्र श्री हिन्छलाल ब्राम्हण, निवासी– नकझर खुर्द थाना व तहसील बहरी जिला सिधी (म.प्र.)
2. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)

--अनावेदकगण

श्री विनोद भार्गव अभि. द्वारा आज दि. 16-8-18 को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 27-8-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 16.8.18

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
16-08-2018

GA office
Recd
16-08-18

न्यायालय तहसीलदार तहसील सिहावल जिला सीधी म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 327/अ–19(2)/1985–86 में पारित आदेश पारित दिनांक 14/07/1986 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय,

आवेदक की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 के पिता हिन्छलाल के पास पूर्व से ही लगभग 28.84 एकड़ भूमि थी। इसके बावजूद भी अनावेदक क्रमांक 1 के पिता हिन्दलाल द्वारा कलेक्टर जिला सीधी के समक्ष राजस्व पुस्तक परिपत्र की कण्डिका 13 के अधीन 19.60 एकड़ भूमि का

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 5027/2018/सीधी/भू0रा0

लक्ष्मण प्रसाद विरूद्ध रघुपति आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05–3–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार सिंहावल जिला सीधी के प्रकरण कमांक 327/अप–19(2)/1985–86 में पारित आदेश दिनांक 14–7–1986 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 02–5–2019 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 5/3/19	